पत्रांक–1/स्था०(विविध)–23/2014 ..../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी, भा०प्र०से०,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक–...............................

विषयः– **बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के पदाधिकारियों को सामान्य विधि व्यवस्था कार्य में नहीं लगाए जाने के संबंध में।**

प्रसंगः– **वित्त विभागीय पत्रांक–13–प्र०स०को०, दिनांक–28.01.2020**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (प्रति संलग्न) द्वारा कोषागार पदाधिकारियों/सहायक कोषागार पदाधिकारियों को सामान्य विधि व्यवस्था कार्य में नहीं लगाए जाने हेतु अनुरोध किया गया था। कई जिलों में कोषागार से संबंधित पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति सामान्य विधि व्यवस्था कार्यों में किये जाने की सूचना प्राप्त हो रही है।

अतः अनुरोध है कि कोषागार से संबंधित पदाधिकारियों (वरीय कोषागार पदाधिकारी/सहायक कोषागार पदाधिकारी) को सामान्य विधि व्यवस्था कार्यों में प्रतिनियुक्त नहीं किया जाए।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

(अरविन्द कुमार चौधरी)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–1/स्था0(विविध)–23/2014 6772 **/वि०, दिनांक –** 03-08-2023

प्रतिलिपिः– श्रीमती रश्मि रेखा, प्रणाली विश्लेषक, वित्त विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु अनुलग्नक सहित प्रेषित।

2/8/2023

प्रधान सचिव।

Nupur/Akshay ji/2023

(348)

डॉ. एस. सिद्धार्थ, भा.प्र.से.
प्रधान सचिव
वित्त विभाग
बिहार सरकार

पुराना सचिवालय, पटना - 800 015
फोन : +91-612-2215805 (कार्या.)
फैक्स : +91-612-2217694
ई मेल : finsecy-bih@nic.in

पत्रांक ....

पटना, दिनांक 28.1.2020

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक ....

विषयः— कोषागार पदाधिकारियों / सहायक कोषागार पदाधिकारियों / कर्मचारियों को कानून व्यवस्था एवं परीक्षा के कार्य से वंचित रखने के संबंध में।

महाशय,

सी०एफ०एम०एस० के लंबित विपत्रों के प्रतिवेदन की समीक्षा से यह ज्ञात हुआ कि कोषागार पदाधिकारी को विधि व्यवस्था कार्य में लगा दिया गया है।

कोषागार पदाधिकारियों / सहायक कोषागार पदाधिकारियों का कार्य पूर्ण–रूपेण तकनीकी है। इन्हें अपने कार्यों के अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं परीक्षा के कार्य में संलग्न करने से कोषागार के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

अतः अनुरोध है कि कोषागार से संबंधित पदाधिकारियों / कर्मचारियों को किसी अन्य कार्य में प्रतिनियुक्त नहीं किया जाय।

विश्वासभाजन

28/1/2020

(डॉ० एस० सिद्धार्थ)